



Estd. 1917
पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY
NAAC Accredited B+ Grade

कार्यालय आदेश

शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अनुरोध पर पटना विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होलिका दहन/होली के लिए पूर्व से घोषित अवकाश के कम में दिनांक 28.03.2024 (वृहस्पतिवार) को भी पटना विश्वविद्यालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

कुलपति के आदेश से,

लड़ी -

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञाप संख्या—स्थान/मिस्ट्री/०५/०६/३३४/२००५ दिनांक—२१.०३.२०२४.

प्रतिलिपि : (1) राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, पटना (2) अवर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना (3) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना (4) सभी संकायों के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना (5) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना (6) सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय, पटना (7) सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, पटना (8) सभी छात्रावासों के अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय, पटना (9) वित्त पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना (10) आय व्यय एवं लेखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना (11) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय औषधालय, पटना विश्वविद्यालय (12) प्रभारी विश्वविद्यालय अभियंता, पटना विश्वविद्यालय, पटना (13) प्रभारी पदाधिकारी केन्द्रीय पुस्तकालय, पटना विश्वविद्यालय (14) प्रभारी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय प्रेस, पटना विश्वविद्यालय, पटना (15) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२१/३/२४
२१/३/२४

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।
२१/३/२४

पटना विश्वविद्यालय

अधिसूचना

विभाग, बिहार सरकार संकल्प संख्या-३ए-३-भत्ता-०१/२०२२-२८९१/वि० दिनांक १५.०३.२०२४ एवं संकल्प संख्या-३ए-३-भत्ता-०१/२०२२-२८९१/वि० दिनांक १५.०३.२०२४ के अलोक में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दिनांक ०१.०१.२०२४ के प्रभाव से ४६ प्रतिशत मंहगाई भत्ता के स्थान पर ५० प्रतिशत मंहगाई भत्ता/ राहत के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारीयों, पदाधिकारियों तथा पेंशनरों को दिनांक ०१.०१.२०२४ के प्रभाव से मुल वेतन का ४६ प्रतिशत मंहगाई भत्ता के स्थान पर ५० प्रतिशत वर्द्धित मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत, मार्च २०२४ गाह के वेतन के साथ भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही जनवरी २०२४ से फरवरी २०२४ तक वर्द्धित मंहगाई भत्ता/मंहगाई राहत के बकाए राशि के भुगतान मार्च माह के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

(१) मुल वेतन की गणना बिहार सेवा संहिता के नियम ३४ ए० (१) में यथापरिभाषित के अनुसार की जायेगी। मुल वेतन से भिन्न विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।

(२) मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में ५० पैसे या उससे अधिक गणना आती है तो अगले उच्चतर रु. में पूर्णांकित किया जायेगा और ५० पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

कुलपति के आदेशानुसार,

21/३/२४
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञाप संख्या-एसी/लेखा०/२००३

दिनांक—

1/त्रैक/-२१-०३-२४

प्रतिलिपि:- (१) निदशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना (२) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना (३) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, प० वि० वि० (४) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या, प० वि० वि० (५) सभी संस्थाओं के निदशक, प० वि० वि० (६) सभी पदाधिकारीगण, प० वि० वि० (७) सभी छात्रावासों के अधीक्षक, प० वि० वि० (८) मुख्य चिकित्सा पदां०, प० वि० वि० (९) प० वि० वि०, अभियंता प० वि० वि० (१०) पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, प० वि० वि० (११) प्रेस अधीक्षक, प० वि० वि० (१२) प्रशाखा पदां०, लेखा शाखा, प० वि० वि० (१३) प्रशाखा पदां०, पेंशन शाखा, प० वि० वि० (१४) प्रशाखा पदां०, स्थापना शाखा, प० वि० वि० (१५) कुलपति के सचिव, प० वि० वि० (१६) महासचिव, प० वि० वि० वि० शिक्षक संघ (१७) महासचिव, प० वि० वि० कर्मचारी संघ (१८) महासचिव, प० वि० वि० कॉलेज कर्मचारी संघ (१९) महासचिव, सेवा निवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, प० वि० वि० (२०) मुख्य प्रबंधक, इंडियन बैंक, पटना विश्वविद्यालय शाखा, अशोक राजपथ, पटना-५ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/३/२४

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय पटना।

10
20/३/२४